संख्या- 83 /2026 / 820 /चार-2026- 1937689

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2026**

विषय:- सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु **56-सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य** -24-वृहद निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3785 /सं0नि0-6(02)/2025-26, दिनांक 01 जनवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय में सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक -4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- **56-सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य** -24-वृहद निर्माण कार्य मद में **रू0 464.50 लाख (रू0 चार करोड़ चौसठ लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान करते हुए, निम्नलिखति तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के साथ ही धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	निकाय	कार्य का नाम	कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की कुल धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6
1	जनपद भदोही	ग्राम अमीरपट्टी में रामलीला मैदान का सुदृढीकरण/ सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य।	102.67	51.00	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0
2	जनपद लखनऊ	विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम सिसेंडी में रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	111.60	56.00	
3	जनपद लखनऊ	विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम हिलगी में रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	112.66	56.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	जनपद लखनऊ	विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम बरवलिया में रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	119.70	60.00	
5	जनपद हरदोई	ग्राम बेहटा मुड़िया, वि0स0ओ0 सवाइजपुर में रामलीला का पक्का गर्थ बनवाये जाने हेतु।	102.67	51.00	
6	जनपद प्रतापगढ़	विधानसभा क्षेत्र 248-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम-सुन्दरपुर, वि0ख0 मंगरौरा, तहसील-पट्टी में स्थित रामलीला मंच, भवन, बाउण्ड्रीवाल, सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य।	99.88	50.00	सी0 एंड डी0 एस0
7	जनपद गोरखपुर	विधान सभा क्षेत्र खजनी में रामलीला मैदान का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	279.71	139.50	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0
			928.42	**464.50**	

2. <u>शर्तें/ प्रतिबंध</u>-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(9) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(15) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 4,64,50,000.00 (रुपये चार करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048005600 सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20252026-124-Reapp Ramleela

विषय:- सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 56-सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048003800 (सरकारी/अर्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	0 शून्य	2025-2026
कुल					₹ 5,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005600 (सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार,जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,01,00,000 रुपये पाँच करोड़ एक लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-400-E-7-203-X-2025-26-दिनांक: 28-02-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in